

# लाल किले से मोदी का तालियां बटोरने वाला प्रवचन



## उधर नारी सम्मान का भाषण इधर बिलकिस बानो के दुष्कर्मी रिहा

बिलकिस बानो गैंगरेप मामला गुजरात दंगों का सबसे भयावह मामला था। बिलकिस उस समय 21 साल की थीं और गर्भवती थीं। गोधरा गुजरात दंगों के बाद उनके साथ गैंगरेप किया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया....

यह किसी विडम्बना से कम नहीं कि स्वतंत्रता दिवस के सम्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से नारी का सम्मान करने का आह्वान किया और दूसरी तरफ बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में उप्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषी सोमवार 15 अगस्त को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिए गए।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि 2002 बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में सभी 11 आजीवन कारावास के दोषियों को गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत गोधरा उपजेल से रिहा कर दिया गया है। पंचमहल की कलेक्टर सुजल मायात्रा ने कहा, 'कुछ महाने पहले गठित एक समिति ने मामले के सभी 11 दोषियों को रिहा करने के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला लिया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और कल हमें उनकी रिहाई के आदेश मिले।'

21 जनवरी 2008 को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या और बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार के आरोप में 11 आरोपियों को उप्रकैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बहाल रखा था।

इन दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी, जिसके बाद उनमें से एक ने अपनी समय से पहले रिहाई के लिए छोड़ दिया। यह अन्य सदस्य भागने में सफल रहे।

पंचमहल की कलेक्टर सुजल मायात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को उनकी सजा में छूट के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकार ने एक समिति बनाई थी। गौरतलब है कि बिलकिस बानो केस 3 मार्च 2002 का है। गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ बिलकिस बानो के घर में घुसी। परिवार पर हमला किया गया। उस समय पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप बलात्कार किया गया और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई।

बिलकिस बानो गैंगरेप मामला गुजरात दंगों का सबसे भयावह मामला था। बिलकिस उस समय 21 साल की थीं और गर्भवती थीं। गोधरा गुजरात दंगों के बाद उनके साथ गैंगरेप किया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। छह अन्य सदस्य भागने में सफल रहे। इस मामले के दोषियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था।

बिलकिस ने बताया था कि गैंगरेप के बाद वह लगभग तीन घंटे तक बेहोश रही। उसके शरीर में इतना दर्द था कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। होश में आने के बाद किसी तरह उसने खुद को संभाला। उसके दिल में यह भी डर था कि अगर वह यहां कुछ और देर रहती तो वह मार दी जाएगी। वह नंगे बदन ही आगे बढ़ी और पास की एक आदिवासी महिला से कपड़े उधार लिए। एक होमार्ड ने बिलकिस को देखा तो वह उसे लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गया जहां उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव के साथ खारिज कर दिया। इसके बाद बिलकिस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और सीबीआई को मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इसमें 5 पुलिसकर्मी समेत दो डॉक्टर भी शामिल थे, जिन्होंने आरोपी की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी।

बिलकिस ने किसी तरह खुद की बचावा और न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उधर बिलकिस के परिवार वालों को लगातार धर्मकियां मिलती रहीं। दो साल में उन्होंने 20 बार अपना घर बदला। बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट ने अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की गुहार लगाई। 2008 में मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने 11 आरोपियों को उप्रकैद की सजा सुनाई। इनमें से तीन ने बिलकिस के साथ रेप की बात स्वीकार की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मई 2017 को सभी आरोपियों की उप्रकैद की सजा बरकरार रखी और 7 दोषियों को को बरी करने का आदेश दुकरा दिया। इसमें पुलिसकर्मी और डॉक्टर भी शामिल थे जिन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की थी।

कोर्ट ने सभी दोषियों को 55 हजार रुपये मुआवजे के रूप में बिलकिस को देने का आदेश दिया। इसको बाद जिन पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट ने जांच में दोषी पाया था, गुजरात सरकार ने उन्हें बहाल कर दिया था। इसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और पुलिसकर्मियों को पेंशन सुविधा देने से रोक लगाई, साथ ही एक आईपीएस अधिकारी को डिमोट करने का आदेश दिया।

अहमदाबाद में ट्रायल शुरू हुआ। हालांकि बिलकिस बानो ने आशंका व्यक्त की कि गवाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और सीबीआई द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामले को मुंबई ट्रांसफर कर दिया। विशेष सीबीआई अदालत ने बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में 21 जनवरी, 2008 को 11 आरोपियों को उप्रकैद की सजा सुनाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 के अपने आदेश में आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्ध को बरकरार रखते हुए मामले में सात लोगों को बरी करने को भी खारिज कर दिया था।

-xजनज्वार व्यूरो-



**राकेश अचल**  
स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण सुनना मेरा शागल रहा है। जिन नरेंद्र मोदी के निर्णयों से मैं कदापि सहमत नहीं होता, उन्हें भी मैं कान लगाकर सुनता हूँ। प्रधानमंत्री कैसा भी हो अखिर प्रधानमंत्री होता है, इसलिए उसे कम से कम साल में एक दिन तो गंधीरता से लेना चाहिए। दुःख तब होता है जब खुद प्रधानमंत्री जी इस खास दिन के लिए भी प्रधानमंत्रियों वाला भाषण देश को नहीं दे पाते।

भारत के हर प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाने वाले भाषण पर देश की ही नहीं, अपितु दुनिया की निगाहें होती हैं। यही मौका होता है जब प्रधानमंत्री अपनी सरकार की और से मुल्क को तोहफा देता है और दुनिया को सन्देश कि भविष्य में किसके साथ, कैसे निर्वाह करने वाला है। दुर्भाग्य से आजादी के अमृतकाल के उपलक्ष्य में दिया गया प्रधानमंत्री का भाषण अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के भाषणों के मुकाबले उन्हीं ही रहा, इन्हीं बन याए। इस भाषण के बारे में भी नहीं बोले। उन्होंने अड़ासियों-पड़ासियों के बारे में भी कुछ नहीं कहा। दुनिया में मची जंग के बारे में भारत क्या सोचता है? वे नहीं बता पाए। जनता को इस मौके पर तोहफे के रूप में कोई योजना बनाने का उन्हें और उनकी सरकार को मौका ही नहीं मिला, बेचारे बोलते क्या?

माननीय प्रधानमंत्री का भाषण भी उसी तरह ऐतिहासिक होना चाहिए था, जिस तरह का कि ऐतिहासिक अवसर था। आजादी का पचहतरवां साल अब दोबारा कभी नहीं आएगा। इस मौके पर अगर प्रधानमंत्री देश को मनरेगा जैसी कोई प्रामाणिक योजना दे देते [भले ही वो महात्मा सावरकर कि नाम से होती] तो देश उन्हें लम्बे समय तक याद रखता। किन्तु जब देने कि लिए कुछ हो ही न तो वे क्या कर सकते हैं?

आज मैं भाषण की जड़ें खोखली कर दी हूँ। चुनावों को इतना मंहगा बना दिया है की आम आदमी अब इस लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो सकता। बेहरा होता कि प्रधानमंत्री जी इन दोनों मुद्दों पर सरकार की और से कोई नीति सामने लाते। केवल गाल बजाने से न प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उनका भाई-भतीजावाद कि खिलाफ सरकार की कार्रवाई तभी स्वागत योग्य हो सकती है जब उसमें भेदभाव न हो। उनका भाई-भतीजावाद कि खिलाफ सन्देश तभी प्रभावी बन सकता है जब वे इसका खात्मा अपने दल और सरकार के भीतर से करें। सचमुच ये दोनों मुद्दे देश के लिए एक बड़ा खतरा हैं।

प्रधानमंत्री ने देश की जड़ें खोखली कर दी हैं। चुनावों को इतना मंहगा बना दिया है की आम आदमी अब इस लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो सकता। बेहरा होता कि प्रधानमंत्री जी इन दोनों मुद्दों पर सरकार की और से कोई नीति सामने लाते। केवल गाल बजाने से न प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात करना आसान है लेकिन उस पर आचरण करना कठिन है। देश में सबसे महंगा आम चुनाव माननीय ने ही लड़ा इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ये दुष्कृत्य कर चुकी हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति दे कि वे आने वाले दिनों में देश में प्रधानमंत्री के सबसे बड़े अपराध जनादेश की खरीद-फरोख से अपनी पार्टी को अलग करेंगे। भाई-भतीजावाद को अपने दल और सरकार से ही समाप्त करने की पहल करेंगे। आजादी कि 15 साल पूरे होने की प्रफुल्लता उनके चेहरे को छू तक नहीं गयी। आखिर ऐसा कौन सा तनाव है जो उन्हें सहज नहीं होने दे रहा? माना कि देश में मौजूदा सरकार की नीतियों को लेकर चौतरफा